

विषय:-

हरियाणा सिविल सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जी०पी०एफ० की स्टेटमैंट ऑनलाईन प्राप्त करने वारे।

कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेगे ?

2. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2013-14 से भविष्य निधि खाते की स्टेटमैंट महालेखाकार, हरियाणा द्वारा जारी नार्ती की जायेगी, क्योंकि अब उन द्वारा जी.पी.एफ. की स्टेटमैंट ऑनलाईन कर दी गई है। महालेखाकार, हरियाणा सभी अधिकारी/कर्मचारी को पहले से जारी किये गए पिन नम्बर द्वारा महालेखाकार, हरियाणा की बेबसाईट <http://www.aghr.gov.in>. से जी.पी.एफ. स्टेटमैंट ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास महालेखाकार द्वारा जारी किये गये पिन नम्बर नहीं हैं। वे अपना नाम, जी०पी०एफ० नम्बर लेखा एवं विभाजन शाखा में दिनांक 31.12.2013 तक अवश्य भेज दें।

*Sandip Patel*  
अधीक्षक लेखा एवं विभाजन शाखा,  
कृते: संयुक्त सचिव (सामान्य) हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. मुख्य मंत्री/मंत्रियों तथा मुख्य संसदीय सचिवों के सचिव/निजी सचिव।
2. मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव के सचिव, सभी वितायुक्त एवं प्रधान सचिव/प्रशासकीय सचिव के निजी सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव के निजी सचिव/निजी सहायक/स्टैनों।
3. उपाध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम के निजी सचिव।
4. सचिव/सहायक सचिव, रक्षा शाखा।
5. अध्यक्ष स्वतंत्रता सैनानी बोर्ड के सचिव।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं अनुभाग अधिकारी।